न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 107/2016

1. गोस्वामी श्याम मनोहर पुत्र दीक्षित श्री विठ्ठलनाथ जी आचार्य / स्वामी मन्दिर श्री बृजराज जी महाराज आयु 76 वर्ष निवासी नया शहर किशनगढ जिला अजमेर व 63 स्वास्तिक सोसायटी, विले पार्ला मुम्बई (महाराष्ट) जरिये आम मुख्त्यार किरण ठक्कर पुत्र श्री जगजीवनदास ठक्कर आयु वर्ष निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)

प्रार्थी

बनाम

1.गोगाराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
2. रणजीत पुत्र श्री गोगाराम जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
3.श्योजी पुत्र श्री गोगाराम जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री गोविन्द दास पुरोहित

निर्णय दिनांक :— 15.12.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212(2) के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के अधिकृत अभिकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध वादग्रस्त खसरा नम्बर 107 व 108 की भूमि बाबत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत वाद पेश किया है जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थी/वादी को पूरी आशा है परन्तु न्यायालय प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। गोस्वामी श्री श्याममनोहर जी के पूर्वजों ने ग्राम मोहनपुरा के वादग्रस्त खसरा नम्बर 107 व 108 की 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि किशनगढ राज्य द्वारा निजी भेट स्वरूप प्राप्त हुई है और प्रार्थी के पूर्वज सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के प्रचार प्रसार हेतुक अधिकतर बाहर प्रवास पर जाने के कारण वादग्रस्त खसरा नम्बर 107 व 108 की कुल 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि को काश्त हेतु संभलायी गयी थी। प्रार्थी के पूर्वजों की सहमति / अनुमति से काश्त करने के बाद वादग्रस्त भूमि की ऊपज का 1/2 हिस्स काश्तकार द्वारा प्रार्थी के पूर्वजों के अदा किया जाता था जिसकी लगान की रसीदे प्रार्थी के पास सुरक्षित है। प्रार्थी को अपने निजी कृषि आराजी पर उत्पन्न काश्त का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा समय समय पर अपने अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को सूचित किया जाता रहा है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की नियत में फर्क आ जाने के कारण उसके द्वारा पिछले 24 वर्षों से काश्त की गयी फसल का हिस्सा प्रार्थी के निजी मन्दिर में जमा नहीं करवाया जा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थी को अपनी निजी स्वामित्व की भूमि पर प्राप्त अधिकारों से अकारण वंचित होना पड़ रहा है जो उसके विधिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने अपने अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की वादग्रस्त खसरा नम्बर 107, 108 की कुल रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर काश्त की सहमति / अनुमति को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 28/4/16 समाप्त किया जा चुका है। प्रार्थी का उक्त रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को प्राप्त होने के बाद भी उसके द्वारा वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

भूमि को काश्त किया जा रहा है तथा कृषि ऊपज का समुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है तथा विधि विरूद्ध वादग्रस्त खसरा नम्बर 107, 108 भूमि को क्षतिग्रस्त किया जाकर काश्त की भूमि को क्षति पहुँचाई जा रही है जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि में निहित विधिक हक व अधिकारों की रक्षा के लिये वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम मोहनपुरा के खसरा नम्बर 107, 108 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 4 को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2016 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। समस्त अप्रार्थीगणों ने नोटिस देखकर लेने से मना कर दिया एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 20.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

दिनांक 15.12.2025 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी/वादी के पक्ष में है। प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम मोहनपुरा के खसरा संख्या107, 108 रकबा 10 बीघा 09 बीस्वा भूमि पर तहसीलदार किशनगढ को रिसीवर नियुक्त किए जाने का आदेश न्याय हित में प्रदान करावें।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र में तहसीलदार किशनगढ को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि तहसीलदार किशगनढ भू धारी है किन्तु उक्त त्रुटि तकनीकी त्रुटि है, माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह अभिमत किया गया है कि तकनीकी त्रुटि के आधार पर प्रार्थी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त त्रुटि को न्यायहित में क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबन्दी के अनुसार अंकित भूमि मन्दिर श्री बृजराज जी महाराज के स्वामित्व की है अर्थात वादअधीन भूमि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज. 6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिकमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक / चारागाह भूगि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेगें। हमारे द्वारा उक्त परिपत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया। उक्त परिपत्रों के अध्ययन एवं माननीय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

राजस्व मण्डल द्वारा एवं अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा मन्दिर भूमि के संबंध में पारित आदेशों के मनन के उपरान्त न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को वाद अधीन भूमि का रिसीवर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त वाद अधीन आराजी ग्राम मोहनपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 107, 108 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 09 बीस्वा भूमि जो कि वर्तमान में मंदिर श्री बृजराज जी महाराज स्थान किशनगढ की खातेदारी में दर्ज है, को प्रतिवर्ष काश्त हेतु निलामी कार्यवाही कर निलामी राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार किशनगढ़ वाद अधीन भूमि का कब्जा बहक रिसीवर प्राप्त कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अप्रार्थी सं0 01 से 03 को मूल वाद के निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मन्दिर की भूमि एवं रिसीवर कब्जे सरकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आदि नहीं करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
राजस्व वाद पत्र संख्या 107 / 2016 उनवान गोस्वामी श्यामभारती बनाम गोमाराम	
5/12/15 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) R.T.A. पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तीबद्ध हो।	
उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	